न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—137/2022 (2022/351) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कमला पुत्री मोहननाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गीतादेवी पत्नि प्रेमनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जमनी पत्नि भैरूनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. तुलसी पत्नि मोतीनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लाडुदेवी पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कंकुदेवी पत्नि रूपनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बालुनाथ दत्तक पुत्र रामनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रूपनाथ पुत्र हुक्मानाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामनाथ पुत्र हुक्मानाथ जोगी नि0 कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र केला कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रकाश पुत्र केला कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सीता पत्नि बालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. छितर पुत्र जवाना कुम्हार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. छितर पुत्र भुरा कुम्हार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. राजू नायक — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.11.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 498 रकबा 1.00 है0, आराजी संख्या 499 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 500 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 278 पर दर्ज रेक[illegible]सी प्रकार आराजी संख्या 467 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 468 रक[illegible] रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 513 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 525 रक[illegible]44 है0 कुल किता [illegible] रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 286 पर दर्ज रेकार्ड [illegible]। प्रमाण में नकल ज[illegible] मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 02.08.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 04.10.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 4, 5 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते एवं विपक्षी संख्या 6 फौरमल पक्षकार है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 498 रकबा 1.00 है0, आराजी संख्या 499 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 500 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 278 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आराजी संख्या 467 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 468 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 473 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 513 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 525 रकबा 0.44 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 286 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा प[illegible] राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000 / –रूपये जमा होने पर उक्त आ[illegible] पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के [illegible] होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी [illegible]र्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–137 / 2022 (2022 / 351) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कमला पुत्री मोहननाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गीतादेवी पत्नि प्रेमनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जमनी पत्नि भैरूनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. तुलसी पत्नि मोतीनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लाडुदेवी पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कंकुदेवी पत्नि रूपनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बालुनाथ दत्तक पुत्र रामनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रूपनाथ पुत्र हुक्मानाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामनाथ पुत्र हुक्मानाथ जोगी नि0 कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **प्रार्थीगण**

बनाम

1. जगदीश पुत्र केला कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रकाश पुत्र केला कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सीता पत्नि बालू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. छितर पुत्र जवाना कुम्हार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. छितर पुत्र भुरा कुम्हार निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 24.11.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 498 रकबा 1.00 है0, आराजी संख्या 499 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 500 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.08 हैव भूमि राजस्व खाता संख्या 278 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आराजी संख्या 467 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 468 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 473 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 513 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 525 रकबा 0.44 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 286 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/–रूपये सम्बंधित भू–अभिलेख [illegible] निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए [illegible] पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने [illegible] की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना [illegible] उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत [illegible]।

हुक्मनामा आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)